संख्या-25/2026/872/सत्रह-म-2026-17-1099/7/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिंनाक 25 मई, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रेयरिंग इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-295/नि0शा0/ दिशा- निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है "उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रेयरिंग इकाई निर्माण हेतु सहायता" योजना को सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रेयरिंग इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-

## योजना के दिशा-निर्देश

### 1- परिचय एवं पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के कई जनपदों जैसे मथुरा, आगरा, एटा, हाथरस, रायबरेली आदि में मिट्टी में सोडियम की अधिकता और खारे भूजल के कारण पारंपरिक कृषि की उत्पादकता कम है। इन खारे क्षेत्रों में *Penaeus vannamei* (पैनेअस वननामी - सफेद झींगा) *Macrobrachium rosenbergii* (महाझींगा), *Penaeus monodon* (पैनेअस मोनोडोन - ब्लैक टाइगर प्रॉन), *Lates calcarifer* (लटेस कैल्कारिफेर – सीबास/भेत्की), *Chanos chanos* (चनोस चनोस - मिल्क फिश) *Etroplus suratensis* (एत्रोप्लुस सुरातेंसिस – पर्ल स्पॉट) आदि झींगा/खारे मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुपयोगी खारा भूमि को उत्पादक बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

### 2-योजना का उद्देश्य

(1) खारे जल के संसाधनों का वैज्ञानिक मत्स्य पालन हेतु उपयोग करना।

(2) झींगा उत्पादन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार सृजित करना।

(3) उत्तर प्रदेश को मछली उत्पादन में 'हब' बनाना और राज्य की वन ट्रिलियन डॉलर

अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में योगदान देना।

(4) मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करना।

**3-कार्य क्षेत्र एवं पात्रता**

(1) चयनित जनपदः मथुरा, आगरा, हाथरस, प्रतापगढ़, मैनपुरी, एटा, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा एवं अन्य प्रभावित क्षेत्र।

(2) अनिवार्यताः आवेदक के पास स्वयं की भूमि या न्यूनतम 7 वर्ष की पंजीकृत लीज (पट्टा) होनी चाहिए।

(3) न्यूनतम भूमिः योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है।

**4- वित्तीय सहायता एवं अनुदान**

यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना लागत के सापेक्ष अनुदान का विवरण निम्नवत हैः

- सामान्य वर्ग – 40 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला – 60 प्रतिशत

नोटः शेष धनराशि (60% या 40%) लाभार्थी को स्वयं के स्रोत या बैंक ऋण के माध्यम से वहन करनी होगी। भूमि क्रय करने या पट्टे पर लेने के लिए कोई सरकारी धनराशि नहीं दी जाएगी।

**5- योजना हेतु प्रविधानित धनराशि**:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु प्रथम चरण में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चरण में कुल ₹ 10.00 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय खारे जलक्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब इकायियों का निर्माण कार्य हेतु अनुदान दिया जाएगा ।

5. द्वितीय चरण में झींगा बीज रेयरिंग इकाई के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी।

**6- इकाई लागत एवं मद**

- इकाई लागतः खारे जल में नए तालाब निर्माण की कुल इकाई लागत ₹17.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
- पूंजीगत लागत (Fixed Cost): ₹7.00 लाख के अंतर्गत तालाब निर्माण, जनरेटर, एयरेटर, पंप आदि कार्य कराये जायेंगे।
- परिचालन लागत (Operational Cost): ₹10.00 लाख प्रति वर्ष के अंतर्गत मिटटी-पानी की जांच, पी०एल०-20 से अधित का झींगा सीड/खारा मछली का बीज, आहार, दवाएं, बिजली आदि की लागत है।
- रियरिंग यूनिटः झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण की इकाई लागत ₹7.00 लाख है।
- तकनीकी सहयोगः योजना का क्रियान्वयन ICAR-CIFE रोहतक, CIBA चेन्नई व DUVASU मथुरा के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा।

**7- आवेदन एवं चयन प्रक्रिया**

- प्रचार-प्रसारः विभाग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

- ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक लाभार्थियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- विशेष प्राथमिकता: आवेदक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/प्रशिक्षण संस्थान से झींगा पालन (Shrimp Farming) विषयक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
- योजना में विशेष रूप से महिला किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- चयन समिति: लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्न होंगे:-

1. मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
2. मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य - सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक, प्रबन्धक - सदस्य
4. प्रगतिशील मत्स्य पालक जो खरे जलक्षेत्रों में कार्य कर रहे हों (मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
5. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य/सचिव

- अनुमोदन: समिति से अनुमोदित सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और निदेशालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर धनराशि आवंटित की जाएगी।
- सत्यापन व भुगतान: निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

**8- अपेक्षित परिणाम (आय-व्यय अनुमान)**

(1) उत्पादन क्षमता: प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 6,000 से 8,000 किग्रा झींगा।

(2) अनुमानित आय: ₹ 35.0 लाख प्रति वर्ष (500/किग्रा की दर से)।

(3) शुद्ध लाभ: समस्त खर्चे घटाकर लगभग ₹ 8.0 लाख प्रति वर्ष।

(4) फसल चक्र: किसान एक वर्ष में झींगा की दो फसलें ले सकेंगे।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 21-05-2026 19:02:05

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

25

संख्या- /872 (1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।

4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लख्नऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।